कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

मिसल संख्या :– 1400/2021 निर्णय दिनांक :– 08.06.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

भूरी देवी पत्नि बद्री जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सुखपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला– टोंक (राज.)

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार महोदय, नगरफोर्ट जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थी पक्ष–

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार
नगरफोर्ट

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट अनुसार आराजी **ख0नं0 543/442 रकबा 2.50 है0** वाके ग्राम स्याला सुखपुरा पटवार हल्का चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि का पडोसी खातेदार से सीमा विवाद है और उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

अतः जमाबंदी सम्वत् **2074–2077** में दर्ज आराजी **ख0नं0 543/442 रकबा 2.50 है0** वाके ग्राम स्याला सुखपुरा पटवार हल्का चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/– निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली